मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक/एफ-25/36 /2005/10 -3 भोपाल/दिनांक 26 अक्टूबर, 2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमि वन विभाग को दिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पृष्ठांकन पत्र दि0 25.10.2005.

-=:0:=-

उपरोक्त विषय में कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें । प्रकरण में राज्य शासन द्वारा उक्त पत्र की कंडिका-1 के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है : -

" वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए व्यपवर्तन की प्रक्रिया में समय कम लगे, इस हेतु प्रत्येक जिले जिलाध्यक्ष ऐसी राजस्व भूमि चिन्हांकित कर लें जो कि वृक्षारोपण के उपयुक्त हो तथा निम्न मापदण्डों को पूर्ण करती हो :-

1. वनभूमि पर अतिक्रमण नहीं हो ।
2. 20 हे0 या उससे अधिक का भू-खण्ड होना चाहिये ।
3. भूखण्ड आरक्षित/अथवा संरक्षित वनखण्ड से लगा हो ।
4. वृक्षारोपण के उपयुक्त एवं उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र हो ।
5. प्रस्तावित भू-खण्ड निस्तार प्रयोजनों के लिए सुरक्षित नहीं हो ।
6. राजस्व अभिलेखों में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज नहीं हो ।
7. भूमि तीव्र ढलान वाली ऊँची/नीची पहाड़ी पथरीली, चट्टान वाली न हो ।

उपरोक्तानुसार चयनित भूमि की सूची जिलाध्यक्ष द्वारा तैयार की जाकर क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी को उपलब्ध कराई जावे ।

क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी इस भूमि का निरीक्षण कराकर पैरा-1 में उल्लिखित मापदण्डों की पुष्टि करेंगें । जो भूमि इन मापदण्डों के अनुरूप हो, की पूर्ण जानकारी मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) को प्रेषित करेंगें ।

वन विभाग इस भूमि को लैण्ड बैंक में सूचीबद्ध करे । जब कभी भी वनभूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता हो, वांछित गैर वनभूमि इस तरह बनाये लैण्ड बैंक से दे दी जायेगी ।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र आपको पृष्ठांकित किया गया है । इस प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही की जाकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(सतीश त्यागी)
अवर सचिव,

11. समस्त वन मण्डलाधिकारी, म0 प्र0

12. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी वन एवं सहकारिता, म0 प्र0

13. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,राजस्व, महिला एवं बाल विकास, म0प्र0

14. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,लोक निर्माण विभाग, म0प्र0

15. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामाद्योग विभाग, म0प्र0

16. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी ,जल संसाधन विभाग, म0 प्र0.

17. निज सचिव, मान0 राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग, म0प्र0

18. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

25/10

1156
28/10/05